राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

—: तार्किक आदेश :—

वाद संख्या—60 / 2024.....1756 पटना, दिनांक— 29.04.2026

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद—C.W.J.C.No- 18090/2023 अकबरी तलक बनाम बिहार राज्य एवं अन्य सहपठित C.W.J.C.No- 14245/2023 रूही प्रवीण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक—13.09.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये न्यायनिर्णय का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :—

"59. In the aforesaid circumstances, in the considered opinion of the Court, 'the Commission' will have to give a relook to the Case no 72 of 2023 (Ruhi Praveen Vs Akbari Talak) afresh both on the age of returned candidate as also the charge of suppression of her educational status.

60. As the Court has decided to remit the matter back to 'the Commission,' to decide it afresh, it has not discussed the legal issues raised in the matter and both the parties shall be free to raise all the issues before 'the Commission' once they are noticed.

61. So far as the cognizance order taken in the Jamalpur P.S. Case No 146 of 2023 is concerned, as the Court is remitting the matter back to ' the Commission' to hear and pass an order afresh, the same shall remain in abeyance till a decision is taken by ' the Commission' and shall merge with the final order passed by ' the Commission.'

62. The order date 16.08.2023 passed in Case No 72 of 2023 (Ruhi Parveen Vs Akbari Talak) by the State Election Commission, Bihar, Patna is set aside and the matter is remitted back to hear the same afresh in accordance with law.

63. Both the writ petitions are disposed of with the aforesaid observation."

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये उक्त निर्णय के आलोक में दिनांक—27.11.2024 को श्रीमती रूही प्रवीण द्वारा आयोग में नया वाद दायर किया गया जिस पर आयोग में वाद पर सुनवाई दिनांक—05.06.2025, 11.09.2025, 23.12.2025, 10.02.2026 तथा 12.03.2026 को की गई।

3. वादी श्रीमती रूही प्रवीण की आरे से विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष कुमार झा द्वारा उनका पक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती अकबरी तलक का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा रखा गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, दरभंगा की तरफ से श्रीमती प्रियंका कुमारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा एवं श्री पवन कुमार यादव, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा प्राधिकृत किये गये।

4. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष कुमार झा द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि एवं उनके भाई के आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि में मात्र एक माह का अन्तर है, जो जैविक रूप से मानव जाति के लिए संभव नहीं है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल की जन्मतिथि "फोकानियाँ" द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के आधार पर संवीक्षा की तिथि से 21 वर्ष से अधिक है, जिसका सतयापन राज्य मदरसा बोर्ड, पटना द्वारा भी किया जा चुका है। "फोकनियाँ" Matric के समतुल्य माना जाता है। इसके बावजूद आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को ध्यान में रखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा इस वाद को आयोग के समक्ष Remand किया गया है। उनके द्वारा अपने मुवक्किल के तरफ से आयु निर्धारण हेतु 'मेडिकल बोर्ड' गठन का प्रस्ताव एवं सहमति दिया गया, ताकि उनके आयु के संबंध में किसी प्रकार की शंका न रहे। हालाँकि उनके द्वारा इस तथ्य पर बल दिया गया कि आधार कार्ड, मतदाता सूची अथवा मतदाता पहचान पत्र में अंकित आयु/जन्मतिथि को न्यायालयों द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

5. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रजनी कुमारी वाद में पारित न्यायनिर्णय तथा दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से आयु के संबंध में विवाद होने की स्थिति में Fact Finding Body अर्थात् Medical Board को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह– जिला पदाधिकारी, दरभंगा को चिकित्सकीय महाविद्यालय स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से प्रतिवेदन प्राप्त कर उपलब्ध कराने का आदेश दिनांक–31.12.2025 को दिया गया।

6. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह– जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पत्रांक–459/जि0पं0 दिनांक–09.02.2026 के माध्यम से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लहेरियासराय, दरभंगा से प्राप्त चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड के प्रतिवेदन को उपलब्ध कराया गया है, जिसका प्रभावकारी अंश निम्नवत् है–

"On the basis of above note physical & radiological findings. The person of Smt. Akbari Talak Mukhiya, Gram Panchayat Raj Khaisa, Jamalpur, Prakhand-Kiratpur, whose identification marks have been mentioned earlier is aged between 25-27 (twenty five to twenty seven) years".

7. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायनिर्णय एवं उपलब्ध तथ्यों के आलोक में आयोग द्वारा पुनरसमीक्षा की गयी, तो यह पाया गया कि माननीय न्यायालय का विशेष रूप से दो बिन्दुओं पर पुनरावलोकन का आदेश है– 1. प्रतिवादी का संवीक्षा की तिथि को आयु 21 वर्ष या उससे अधिक थी अथवा नहीं तथा 2. प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन पत्र में तथ्य छुपाये जाने के कारण उनपर कार्यवाही के पूर्व उनसे कारण पृच्छा में विफलता।

आयोग द्वारा वाद सं0–72/2022 में जो आदेश पारित किया गया था उसका आधार "फोकानियाँ" जो कि Matric के समतुल्य है, के पंजीकरण पंजी एवं प्रवेश पत्र में अंकित जन्मतिथि 05.02.2000 में अंकित जन्मतिथि था। आयोग का उक्त निर्णय ममता कुमारी वाद C.W.J.C. No-6191/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वि–सदस्यीय पीठ द्वारा पारित न्यायादेश से मार्गदशर्न प्राप्त कर किया गया था।

आयोग द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रतिवादी श्रीमती अकबरी तलक के आयु के निर्धारण में किसी प्रकार की शंका से बचने तथा "फोकानियाँ" में अंकित जन्मतिथि दिनांक–05.02.2000 के सत्यापन हेतु रजनी कुमारी वाद में माननीय न्यायालय के पूर्ण पीठ द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में आयु के निर्धारण हेतु Fact Finding Body मेडिकल बोर्ड को मामले को संदर्भित किया गया, तो यह पाया गया कि फरवरी, 2026 में प्रतिवादी की आयु 25 से 27 वर्ष निर्धारित की गयी है। **इस प्रकार प्रतिवादी के जन्म का संभावित वर्ष 1999 से 2001 के बीच है, जो कि फोकानियां के पंजी करण एवं प्रवेश पत्र में अंकित जन्मतिथि 05.02.2000 के काफी सन्निकट है। इस प्रकार उक्त जन्मतिथि की सम्पुष्टि होती है।**

जहाँ तक प्रतिवादी एवं उनके भाई के आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथियों में मात्र एक माह के अन्तर का प्रश्न है, तो इस संबंध में आयोग का मत है कि आयोग प्रतिवादी के भाई के आयु के निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकार नहीं है। उन दोनों के आधार कार्ड में आयु का अन्तर एक माह क्यों है इसके कारणों की जांच हेतु वादी सक्षम न्यायालय/प्राधिकार में वाद लाने हेतु स्वतंत्र है।

आयोग द्वारा माननीय न्यायालय के दूसरे निर्देश का मनन भी किया गया। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाचन में शपथ–पत्र के साथ अभ्यर्थियों से नामांकन पत्र प्राप्त किया जाता है, ताकि मतदाताओं को अपने अभ्यर्थियों के बारे में सभी सूचनाएं तथ्यात्मक रूप से सही–सही ज्ञात हो सके तथा मतदाता उन अभ्यर्थियों के द्वारा अंकित सूचनाओं के आधार पर उनके गुण–दोषों की विवेचना के उपरान्त सही एवं अपने मनपंसद अभ्यर्थी का चयन कर सके। अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र के प्रारूप में ही अंकित रहता है कि उनके द्वारा दी जाने वाली सूचना बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 125(क)(1) के अधीन दिया जा रहा है। इसी प्रावधान के (क)(3) में गलत शपथ पत्र दिये जाने हेतु शास्ति (दण्ड) का प्रावधान है। अतः जो भी अभ्यर्थी गलत शपथ–पत्र देते हैं उन्हें पूर्व से ही संज्ञान रहता है कि 125(क)(1) के तहत मिथिया शपथ–पत्र दिये जाने पर वह बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 125(क)(3) के अधीन दण्डित किये जा सकते हैं। विचाराधीन वाद में प्रतिवादी फोकानियाँ (मैट्रीक के समतुल्य) की परीक्षा में सम्मिलित हुई थी परन्तु उनके द्वारा अपने नामांकन पत्र में "साक्षर" अंकित किया गया है, जबकि "साक्षर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होता है जिन्हें अक्षर का ज्ञान हो और वह मात्र हस्ताक्षर कर सकते हो।

प्रतिवादी द्वारा उक्त तथ्य छिपाया गया है तथा अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में मिथ्या शपथ–पत्र दी गयी है, जिसका उन्हें पूर्णतः संज्ञान था। मिथ्या शपथ–पत्र पर दण्ड का संसूचन जिला के सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा। इस हेतु उन्हें सक्षम न्यायालय के स्तर से निश्चित रूप से विहित प्रक्रिया के अनुसार अवसर प्रदान किया जायेगा। अतः श्रीमती अकबरी तलक द्वारा मिथ्या शपथ–पत्र दिये जाने के निष्कर्ष एवं इस आलोक में आवश्यक कार्यवाही करने के आयोग के निदेश में विधिक/वैधानिक रूप से कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। इसके बावजूद यदि माननीय न्यायालय का कोई विशिष्ट आदेश इस संबंध में प्राप्त होता है, तो आयोग द्वारा उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त आदेश के साथ दायर वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाए।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।
29.04.2026

ह0/
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।
29.04.2026

ज्ञापांक– वाद सं0–60 / 2024.....1756 पटना, दिनांक 29.04.2026–

प्रतिलिपिः– श्रीमती अकबरी तलक, मुखिया, खैसा ग्राम पंचायत, पति–मो0 नसीम, ग्राम–खैसा, थाना–जमालपुर, जिला–दरभंगा एवं श्रीमती रूही प्रवीण, पति–मो0 नसरूल्लाह, ग्राम–खैसा, थाना–जमालपुर, जिला–दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

29/4/26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– वाद सं0–60 / 2024.....1756 पटना, दिनांक 29.04.2026–

प्रतिलिपि :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, दरभंगा / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा को आदेश दिया जाता है कि आदेश के प्रति वादियों को तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन 48 घंटों के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

29/4/26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।